न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–28 / 2019

बेबी देवी उर्फ सुनिता देवी वगैरह.....वादीगण

बनाम

कुमारी कौशल्या वगैरह .....प्रतिवादीगण

आदेश

11.04.23 अभिलेख आज हस्तक्षेपक आवेदक जितेन्द्र कुमार राय एवं बिरेन्द्र कुमार राय की ओर से दीवानी प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक–23.08.2022 तथा उसके तत्संबंधित वादी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–12.01.2023 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में हस्तक्षेपक आवेदक ने निवेदन किया है कि वर्तमान वाद में विक्रयविलेख दिनांक–04.12.2018 के शून्य कर्णिय होने और अनुसूचि–5 की भूमि वादी को बंटवारा से प्राप्त होने का अभिकथन किया गया है तथा वादपत्र के मद सं0–4 तथा नजरी नक्सा में सर्वे सं0–1043 एवं 1047 के अतिरिक्त 1044 से 1046 तक का नक्सा दिया गया है। रिविजनल सर्वे सं0–1044 तथा 747 की ऐराजी 34 डिसमिल है जो हस्तक्षेपक के पिता राम पुकार राय के नाम खतियान में अंकित है तथा उसके पूरब एवं रिविजनल सर्वे 1043 के पश्चिम उनकी खास ऐराजी अवस्थित है जिससे वादीगण को कोई सरोकार न है न था तथा वादी द्वारा वादपत्र में खेसरा सं0–1043 से पूरब कोचू राय का नाम चौहद्दी में अंकित किया जाना गलत है तथा उसी प्रकार पश्चिम की चौहद्दी में आवेदक का नाम दिया जाना गलत है, चूँकि खेसरा सं0–1043 पूरब हस्तक्षेपक का खेसरा सं0–1044 अवस्थित है। इस प्रकार वादीगण पूर्व की दुश्मिनी के कारण मद सं0–4 में भूमि के विवरण में हस्तक्षेपक की भूमि, खेसरा सं0–1044 को सम्मिलित करते हुए अपना दावा प्रस्तुत किया है जो बिल्कुल गलत है। इस कारण से उन्हें वर्तमान वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त आवेदन के प्रत्युततर में वादी ने निवेदन किया है कि उपरोक्त आवेदन पोषणीय नहीं है। उनके द्वारा विवादित भू–भाग, पुराना खेसरा 429 एवं नया खेसरा 1043 पर ही अनुतोष की मांग की गई है और मद सं0–4 अर्जीदावी में खेसरा 428 पुराना और नया 1047 विवादित भू–भाग है जिससे हस्तक्षेपक आवेदक को कोई सरोकार नहीं है तथा आवेदन कंडिका–1 में तथा 3 में अंकित तथ्य से वादी को इनकार नहीं है। इस प्रकार उनका आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा वर्तमान वाद प्रतिवादीगणों के विरुद्ध वादपत्र के मद सं0–3 में उल्लिखित भूमि के निस्बत हकियत की उद्घोषणा और विक्रयविलेख दिनांक–04.12.2018 को शून्य एवं नाजायज घोषित करने हेतु दाखिल किया गया है। विवादित भूमि के संदर्भ में मद सं0–3 में पुराना खाता–49 नया 370, पुराना खेसरा 429 नया 1043, रकवा 6

T.S- 28/2019

28/2019

11.04.23 डिसमिल विवादित दर्शाया गया है। मद सं0–4 में भी खेसरा सं0–1047 एवं 1043 के संबंध में अनुतोष की मांग की गई है। वादपत्र में दिए गए नजरी नक्सा में खेसरा 1043 के पूरब में कापू राय और पश्चिम में विरेन्द्र राय को दर्शाया गया है जबकि हस्तक्षेपक द्वारा अपने आवेदन में दिए गए नक्सा के अनुसार विवादित 1043 के पूरब किसी खेसरा का उल्लेख नहीं है और न ही कापू राय का उल्लेख है। हस्तक्षेपक आवेदक की सम्पत्ति खेसरा सं0–1044 बतलायी जाती है जबकि वादपत्र के अनुसार वादी का दावा खेसरा 1044 के पश्चिम अवस्थित खेसरा 1047 पर भी है, परन्तु वादी ने उक्त दोनों खेसरा का संयुक्त चौहद्दी पूरब कोपू राय और पश्चिम विरेन्द्र राय को दिखलाते हुए दे दिया है और नजरी नक्सा में उक्त दोनों भूमि का एक चौहद्दी दर्शाया जाना युक्तियुक्त नहीं है। उभय पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि खेसरा 1044 पर वादी का कोई दावा नहीं है। अतएव वर्तमान वाद में हस्तक्षेपक को पक्षकार बनाया जाना अनावश्यक वाद को लंबित करेगा, परन्तु मद सं0–4 की चौहद्दी दोनों खेसरा को मिलाकर एक साथ दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः न्यायालय दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 16 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वादपत्र से उक्त दर्ज चौहद्दी को विलोपित करने का आदेश देती है तथा वादी को निर्देश देती है कि वे उक्त दोनों खेसरा के संबंध में नया व पुराना नक्सा दाखिल करें और चौहद्दी में तद्नुसार सुधार करें।

वाद दिनांक– 20-06-2023 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश,

शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।